

पत्रांक-05/बीए-22/2015

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,  
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,  
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0001- राष्ट्रभाषा परिषद, विपत्र कोड संख्या- एन 2202800040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रु० 40,00,928/- (चालीस लाख नौ सौ अठाईस रूपये) मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	01 01-वेतन	7528000	3300000	1,08,28,000
2	01 03-जी०या०भ०	8883000	0	8883000
3	01 04-म० कि० भ०	1506000	0	1506000
4	01 05-परिवहन भ०	205000	0	205000
5	01 06-चि० भ०	90000	0	90000
6	01 07-अन्य भत्ता	24000	0	24000
	योग वेतन एवं भत्ते:-	1,82,36,000	33,00,000	2,15,36,000
7	06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1632 दिनांक- 12.12.2014	0	100928	100928
8	13 01-कार्यालय व्यय	400000	200000	600000
9	13 02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	150000	400000	550000
	कुल योग :-	1,87,86,000	40,00,928	2,27,86,928

तत्काल आवंटित राशि 40,00,928/- (चालीस लाख नौ सौ अठाईस रूपये) मात्र।

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 295 दिनांक-24.03.2015 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।



4. आवंटित राशि का मूखलान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के द्वारा नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि को निरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनात्मकता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। स्वयं पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
6. कोषागार में परचून किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाई/सी का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित रूप से हो सके।
7. मासिक व्यय विवरण अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0पी0वर्क एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहरताक्षरी को भेजी जाय।
8. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (उच्च शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहरताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
9. गितव्ययिता अवश्य बरते।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।
11. विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-239 दिनांक-16.10.2015 द्वारा इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 2,00,000/- (दो लाख रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त राशि का बजट उपबंध कराया गया है।
12. विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-260 दिनांक-30.11.2015 द्वारा इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-01 01-वेतन में रू0 33,00,000/-, 13 01-कार्यालय व्यय में रू0 2,00,000/- एवं 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव में रू0 4,00,000/- अर्थात् कुल 39,00,000/- (उनचासी लाख रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(डॉ० खालिद मिर्जा),  
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक:-

268

पटना, दिनांक:- 02.12.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना कोषागार, पटना/जिला पदाधिकारी/लेखापाल, राष्ट्रभाषा परिषद, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

XO Mirza  
2-12-15  
(डॉ० खालिद मिर्जा),  
निदेशक (उच्च शिक्षा)  
SN